

न्यायालय, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश  
PBR निगरानी/इन्दौर/अ-2/2017/1879  
कम्प इन्दौर के समक्ष

129

- 1 : श्रीमती सरस्वतीबाई पति विष्णुप्रसाद पाटीदार
- 2 : कमलेश पिता ओमप्रकाश सूर्या
- 3 : माखन पिता भेरुलाल चौधरी
- 4 : श्रीमती मोना पति सतीश परमार
- 5 : श्रीमती सावित्री पति गौरीशंकर परमार
- 6 : श्रीमती दर्शनकौर पति स्व. श्री गुरदयाल सिंह भाटिया
- 7 : श्रीमती अरविंदर कौर पति गुरमीत सिंह भाटिया ,

सभी हाल मुकाम - सर्वे नंबर 557, ए बी रोड  
राउ जिला इंदौर

.....याचिकाकर्तागण / प्रार्थीगण

विरुद्ध

मोहन पिता पूनाजी तर्फे वारिसगण

- 1: मोहन पिता कन्हैयालाल  
निवासी - ग्राम उमरिया तहसील महू जिला इन्दौर
- 2 : देवकरण पिता मोहन
- 3 : हीरालाल पिता मोहन  
निवासी - ग्राम राउ जिला इन्दौर
- 4 : लक्ष्मीबाई पति मांगीलाल तंवर  
निवासी- अर्जुननगर, इन्दौर
- 5 : भागवंतीबाई पति स्व. मोहन  
निवासी - ग्राम राउ जिला इन्दौर
- 6 : कमलाबाई पति रामप्रसाद तंवर  
निवासी - सुसियाखेडी सारंगपुर जिला राजगढ ब्यावरा
- 8 : मांगीबाई पति कन्हैयालाल तर्फे भूपेन्द्र पिता कन्हैयालाल  
निवासी - ग्राम उमरिया
- 9 : पार्वतीबाई पति रामसिंह  
निवासी - निपानिया, मंदसौर

..... रेस्पांडेंटस / प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत

श्रीमान की सेवा में याचिकाकर्तागण / प्रार्थीगण क्रमांक 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर म.प्र. के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 95/2016-2017 (श्रीमती सरस्वतीबाई व अन्य विरुद्ध मोहन पूनाजी तर्फे वारिसगण अदि) में पारित आदेश दिनांक 09/01/2017 से संबंधित

*(Signature)*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/17/1879

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिगणकों  
आदि के हस्ताक्षर

17-1-2018

अवोदकगण की ओर से श्री जी0एस0भाटिया अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री के0शरावत अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों को सुना गया। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा पारित स्थगन निरस्ती आदेश दिनांक 9-1-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपील का निराकरण गुणदोष पर अपर आयुक्त के द्वारा किया जाना है। अतः इस निगरानी का अंतिम निराकरण अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में तीन माह तक यथास्थिति बनाये रखते हुये अपील का निराकरण गुणदोष पर तीन माह में करें। अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।



  
अध्यक्ष